AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Authors
अनामिका श्रीवास्तव
शोधार्थी

डॉ. रेनू गुप्ता
शोध पर्यवेक्षिका
शिक्षा संकाय
संस्कृति विश्वविद्यालय
मथुरा, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध सार

नारी सशक्तिकरण आज के समय का सबसे प्रसिद्ध विषयों में से एक हैं। आज दुनिया के हर कोने में लोग नारी सशक्तिकरण की बाते कर रहे हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में महिलाओं के अधिकारों के लिए हर वर्ग से आवाज उठाई जा रहीं हैं। ऐसे में हमें यह अच्छे से समझना होगा की यह महिला सशक्तिकरण क्या हैं। महिला सशक्तिकरण अथवा नारी सशक्तिकरण एक ऐसा विचार है जिसके अंतर्गत समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, अच्छा जीवन शैली, शुद्ध, पर्याप्त व पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, उच्च शिक्षा, वोट का अधिकार, सरकारी नौकरियों में भागीदारी, स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार, देश की सुरक्षा एवं आर्थिक व्यवस्था में योगदान, मनपसंद पहनावा, पुरुषों के बराबर दर्जा आदि स्तरों पर नारी को सशक्त एवं उत्तम बना देना। ये सशक्तिकरण के मुख्य बिंदु हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो नारी सशक्तिकरण का अर्थ है नारी को आर्थिक, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, खेल कूद, मानसिक, शारीरिक, ज्ञान, सामाजिक, तकनीकी, यान्त्रिकी, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय आदि सभी प्रकार के क्रिया कलापो में स्वतंत्रता पूर्वक योगदान होना व देश समाज में महिला पुरुष बराबरी होना। इस अध्ययन में इस बात को जानने का प्रयास किया गया है कि महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित युवा और अशिक्षित युवा दोनों ही क्या भावना रखते हैं।

मुख्य शब्द

सशक्तिकरण, शिक्षित, अशिक्षित, अभिवृत्त, महिला.

प्रस्तावना

साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें। भारत एक जटिल देश है। यहाँ सदियों से विभिन्न प्रकार की रीति–रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं का विकास हुआ है। ये रीति–रिवाज और परंपराएं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी, हमारे समाज की सामूहिक चेतना का एक हिस्सा बन गई हैं। हम महिलाओं को देवी मान उनकी पूजा करते हैं। हम अपनी मां, बेटियों, बहनों, पत्नियों और अन्य महिला रिश्तेदारों या दोस्तों को भी बहुत महत्व देते हैं लेकिन साथ ही भारतीय अपने घरों के अंदर और अपने घरों के बाहर

महिलाओं से किए बुरे व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हर धर्म हमें महिलाओं के सम्मान और शिष्टता के साथ व्यवहार करना सिखाता है। आज के आधुनिक में समाज की सोच इतनी विकसित हो गई है कि महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कुरीतियाँ और प्रथाएँ आदर्श बन गई हैं। जैसेः सती प्रथा, दहेज प्रथा, परदा प्रथा, भ्रूण हत्या, पत्नी को जलाना, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य विभिन्न प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार ऐसे सभी कार्यों में शारीरिक और मानसिक तत्व शामिल होते हैं। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक महिला की स्थिति–सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान नहीं रही है। महिलाओं के हालातों में कई बार बदलाव हुए हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था, शुरुआती वैदिक काल में वे बहुत ही शिक्षित थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मैत्रयी जैसी महिला संतों के उदहारण भी हैं।

सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाएँ बाल विवाह, देवदासी प्रणाली, नगर वधु, सती प्रथा आदि से शुरू हुई हैं। महिलाओं के सामाजिक–राजनीतिक अधिकारों को कम कर दिया गया और इससे वे परिवार के पुरुष सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई। शिक्षा के अधिकार, काम करने के अधिकार और खुद के लिए फैसला करने के अधिकार उनसे छीन लिए गए। मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ महिलाओं की हालत और भी खराब हुई। ब्रिटिश काल के दौरान भी कुछ ऐसा ही था लेकिन ब्रिटिश शासन अपने साथ पश्चिमी विचार भी देश में लेकर आया।

महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार आ जाता है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आन्दोलन और गुनी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिला के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। '1090' के सदी में महिला सशक्तीकरण पर जोर देने के साथ ही यह प्रयास भी किया गया के महिलाओं को निर्णय लेने प्रक्रिया में शामिल होकर नीति निर्माण के स्तर पर भी अपनी स्थिति सुनिश्चित करनी होगी। महिला सशकिरण का अर्थ ऐसी क्रिया से है जिसमें महिलाओं की अपने आपको संगठित करने की क्षमता भी होती है।

सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक बदलाव के नए आयाम

सशक्तिकरण का तात्पर्य है शक्तिशाली बनाना। सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अमांनताओं से पैदा हुई समस्याओं से निपटने के रूप में देखा जा सकता है। ''महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाती है। महिलाओं के लिये डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का कथन है कि भारतीय नारी श्रम से नहीं थकती किन्तु आंसूओं की चिन्ता करते हुए वह रोटी, असमान व्यवहार, शोषण से अवश्य घबराती है। महिलाओं के सामाजिकीरण में शिक्षा की अहम भूमिका है, यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत सच है क्योंकि महिलाओं के शिक्षित होने पर जागरूकता आएगी, अधिकारों की सजगता होगी। 1997 में महिला समलैंगिकता पर बनी भारत की पहली फिल्म फायर हिन्दु कट्टरपंथियों के निशाने पर आई। यह महलाओं की इच्छाओं से संबंधित मानी गई। 1999 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए यह कहा कि कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीडन को लिए अधिकारों का उल्लंघन करार दिया जाए। इसमें भद्दे इशारे भी यौन उत्पीडन के दायरे में शामिल किए गए। '2000' में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा परित्यकता पत्नी को संपत्ति संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बनाया हैं। किसी भी समाज को सभ्य समाज का दर्जा तब तक नहीं प्राप्त होता, जब तक उस समाज की नारी का सशक्तिकरण न हो, जब तक उस समाज में नारी को समान अधिकार न हो। हर युग में भारत में ऐसे संतों का अवतरण हुआ, जिन्होंने प्रखरता के साथ नारी सशक्तिकरण की बात कही। इन्हीं में से एक कबीर दास भी थे, जिन्होंने कहा था किः

''गये रोये हँसी खेल के, हरत सबौं के प्राण कहै कबीर या घात को, समझै संत सुजान।''

इसका अर्थ यह है कि ''गाकर, रोकर, हंसकर या खेल कर नारी सब के प्राण हर लेती हैं।''

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाकर उनके प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके उनमें सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनैतिक और आर्थिक नीति

निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजातांत्रिक अधिकारों को प्रदान करना है ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया से महिलाओं के समक्ष चुनीतियों में बढ़ोत्तरी हुई है। भूमण्डलीकरण के अन्तर्गत निजीकरण एवं उदारीकरण की नीतियों ने सार्वजनिक उपक्रमों पर व्यय घटाया है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव निर्धन तबके के आय एवं उपभोग पर पड़ा है। विश्व जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाए है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अध्ययनों द्वारा स्पष्ट हुआ है कि निर्धनता से लैंगिक आयाम निरन्तर बढ़े हैं। यह निर्धनता का महिलाकरण है। भूमण्डलीकरण महिलाओं को अवश्य लाभ मिला है किन्तु बहुसंख्यक महिला संसाधन हाशिये पर है।

इस प्रकार सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए सशक्त महिला की आवश्यकता होती है जो शिक्षित महिलाओं के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है क्योंकि स्त्री हमारे समाज की प्रथम पाठशाला होती है। जब महिलाएं शिक्षित होगी तभी राष्ट्र का विकास होगा। 20वीं सदी में महिला सशक्तिकरण द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। इसके बावजूद अत्याचारी एवं अप्रगतिशील विचारों वाला समाज नारी की महानता को स्वीकार नहीं करता है। यह नारी सशक्तिकरण का विरोध करता है किन्तु सरकार तथा प्रगतिशील समाज के लोग नारी सशक्तिकरण का समर्थन करते है जिसमें शिक्षित व अशिक्षित दोनों वर्ग है। 20 वीं सदी में भी जब नारी पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही है तब भी समाज में अर्न्तद्वन्द है जिसमें सभी वर्ग के लोग है। इसी अर्न्तद्वन्द को देखते हुए शोधार्थी ने युवाओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने का निश्चय किया।

साहित्य का पुनरावलोकन

विवेक सिंह (2011) ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अपने लघु शोध महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में ग्रामीण महिला अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया। निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये, सामान्य वर्ग की महिला अभिभावक, अनुसूचित जाति की महिला अभिभावकों की तुलना में महिला सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है।

वुमन एण्ड वायलेन्स (ईरान) इजासी शाब्ला 2010, महिला तथा हिंसा पर शोध किया। इसका उद्देश्य ईरानी महिलाओं पर घरेलू हिंसा कार्यस्थल पर हिंसा आदि का अध्ययन करना था।

के. मोहन सुन्दरन एण्ड कन्नन (2010) ने महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक स्थिति तथा रोजगार के प्रति अभिभावकों की रुचि का अध्ययन किया। शोधकर्ता ने केरल राज्य के 300 अभिभावकों को चुना तथा पाया कि सभी वर्ग के अभिभावक महिलाओं को रोजगार दिलाने के पक्ष में है जिसमें शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति ग्रामीण अभिभावकों से अधिक है। अध्ययन में पाया कि रोजगार का महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सभी वर्ग के अभिभावक महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के पक्ष में थे।

पी. रेड्डी एण्ड देवी (2014) आन्ध्र प्रदेश ने महिलाओं में व्यवसायिक आवश्यकता का अध्ययन किया जिसके निम्न परिणाम थे 31 प्रतिशत महिलाओं घरेलू कार्यो को नकार दिया। 30 प्रतिशत महिलाओं ने पारिवारिक व्यवसाय में रुचि नहीं दिखाई। 29 महिलाओं में कृषि व्यवसाय में रूचि नहीं दिखाई। ज्यादातर महिला डेयरी प्रबंधन, मशरूम की खेती, कपड़े के व्यवसाय कुक्कुट पालन में रूचि दिखाई। व्यवसायिक अभिवृत्ति के लिए प्रशिक्षण में रूचि दिखाई। दुमन ह्यूमन राइट वफा स्वेनाज, (2016) ने महिला व मानवाधिकार विषय पर शोध किया। इसका उद्देश्य संविधान में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना था। इस अध्ययन के निष्कर्ष में अनु.–115 के अनुसार महिला राष्ट्रपति बनने की अधिकारी नहीं। वर्ष 2001 में 565 महिलाओं की परिवार की इज्जत के लिए हत्या की गयी। इसका कारण व्यर्थ महत्वहीन रीतिरिवाज मुख्य कारण है।

समस्या कथन

महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

उद्देश्य

प्रस्तावित शोध के अध्ययन के उददेश्य निम्नलिखित हैः

1. महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित युवक एवं युवतियों की अभिवृत्ति को ज्ञात करना।
2. महिला सशक्तिकरण के प्रति अशिक्षित युवक एवं युवतियों की अभिवृत्ति को ज्ञात करना।
3. महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित एवं अशिक्षित युवकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित एवं अशिक्षित युवतियों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

प्रस्तुत शोध की परिकल्पनाएं निम्न हैः

$\mathbf{H_{01}}$ महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित युवक एवं युवतियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

$\mathbf{H_{02}}$ महिला सशक्तिकरण के प्रति अशिक्षित युवक एवं युवतियों की जमिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

$\mathbf{H_{03}}$ महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित व अशिक्षित युवकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

$\mathbf{H_{04}}$ महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित एवं अशिक्षित युवतियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध अध्ययन की विधि

प्रस्तावित शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

अध्ययन का क्षेत्र

शोध के लिए किसी विशेष समस्या का चयन किया जाता है। उस समस्या को अधिक स्पष्ट करने के लिए सीमाओं को निश्चित किया जाता है जिससे लक्ष्य मार्ग प्रशस्त हो जाय। अतः विस्तार से बचने के लिए प्रस्तुत शोध कार्य की सीमाओं को भी शोधार्थी द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रस्तुत शोध की परिसीमाएं निम्न हैः

1. युवाओं के अन्तर्गत 25 वर्ष तक के युवक एवं युवतियों को शामिल किया गया है।
2. अध्ययन का कार्य क्षेत्र जनपद बाराबंकी के निंदूरा ब्लॉक तक सीमित है।
3. अध्ययन में शिक्षित तथा अशिक्षितों युवाओं को शामिल किया गया है। शिक्षित युवक, शिक्षित युवती, अशिक्षित युवक, अशिक्षित युवती की संख्या समान रखी गयी है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध कार्य में यादृच्छिक विधि से न्यादर्श का चयन किया गया है। इस चयन विधि में जनसंख्या तथा समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को न्यादर्श में चयन के लिए समान अवसर प्राप्त होता है। इस न्यादर्श में एक दूसरे व्यक्ति के चयन पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योकि दोनों समूहों के समान योग्यता वाले न्यादर्श होते है।

प्रस्तुत शोध हेतु न्यादर्श के अर्न्तगत शिक्षित युवक एवं युवतियों का चयन बाराबंकी जिले से किया गया है। गया है जिनकी संख्या क्रमशः 25–25 है तथा अशिक्षित युवक एवं युवतियों का बाराबंकी जिले के निंदूरा ग्राम के निवासियों से किया गया है जिनकी संख्या क्रमशः 25–25 है।

न्यादर्श तालिका

	युवक वर्ग	युवती वर्ग	कुल
शिक्षित	25	25	50
अशिक्षित	25	25	50
कुल	50	50	100

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपकरण

प्रस्तुत शोध के लिए उपकरण के रूप में स्वर्निमित प्रश्नावली का प्रयोग किया जायेगा।

सांख्यिकी सूत्र

शोधकर्ता ने तालिका बनाकर मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक निष्पत्ति निकलाने के लिये सूत्रों का प्रयोग करेगा।

निष्कर्ष

अध्ययन से जो भी परिणाम प्राप्त हुये वह यह हमारे नीति निर्माताओं शैक्षिक संस्थाओं एवं स्वयं समाज के लिए उपयोगी होगा क्योंकि अध्ययन में लिये गये प्रयुक्त समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे जो आगे चलकर समाज के निर्माणकर्ता बनेंगे। इस सन्दर्भ में विभिन्न आंकड़ों का संकलन एवं उनका विश्लेषण करने के पश्चात् निम्न निष्कर्ष निकलेः

1. महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित युवक एवं युवतियों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
2. महिला सशक्तिकरण के प्रति अशिक्षित युवक एवं युवतियों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं पाया गया।
3. महिला सशक्तिकरण के प्रत्ति शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
4. महिला सशक्तिकरण के प्रति शिक्षित एवं अशिक्षित युवतियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

संदर्भ सूची

1. आहुजा राम, (2005) *भारतीय समाज में शिक्षा का परवर्ती दृष्टिकोण मे शिक्षा का परवर्ती दृष्टिकोणें,* रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 225।
2. कपिल, एम.के. (2004) *अनुस्थान की विधियाँ,* हर प्रसाद भार्गव, पुस्तक प्रकाशक, आगरा।
3. गुप्ता, एम.एल. एण्ड शर्मा डीसी (2002) *शिक्षाशास्त्र,* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 880, 862।
4. गुप्ता, मोतीलाल (2005) *भारतीय समाज और शिक्षा,* राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. 272, 432।
5. गुप्ता, मोतीलाल (2005) *भारत में समाज,* राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2005 पृ. 443,444।
6. गैरिट ई. हेनरी (2005) *शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी,* कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
7. इन्द्र, (2017) भारतीय समाज में शिक्षा का परवर्ती दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य, शिक्षाशास्त्र विमल प्रकाशन मन्दिर आगरा–3 पृ. 43 44(10)।

****